फैक्स/समयबद्ध

संख्या- 19 /1-10-2015-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊः दिनांक : 19 जनवरी, 2016

विषय- वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बलों का वितरण और अलाव की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल क्रय किये जाने तथा अलाव जलाये जाने के लिये शासनादेश संख्या-1092/1-10-14-12(34)/03टी.सी.।, दिनांक 04.11.2015 द्वारा धनावंटन किया गया था। शासनादेश संख्या- शासनादेश संख्या-1156/1-10-14-12(34)/03टी.सी.।, दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1212/1-10-14-12(34)/03टी.सी.।, दिनांक 14.12.2015 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को भी निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारीगण की मांग के क्रम में शासन द्वारा कम्बल एवं अलाव मद में अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।

2- प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

- निराश्रित, असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।
- प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा आदि के अभाव में न होने पाये।
- जल रहे अलाव स्थलों का निरीक्षण कर लिया जाय।
- जनपद द्वारा जन सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी भी लोगों को दी जाय।
- कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति राहत कन्ट्रोल रूम क फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर प्रत्येक दिन सायं 04.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

7- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।